

शीर्षक

दकेशन आत्मज माराम गाडरी निवासी रामदेवनगर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

—प्रार्थी

बनाम

1. शिवलाल आत्मज बंशीलाल गाडरी निवासी रामदेवनगर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. सोहनलाल आत्मज डालू गाडरी निवासी रामदेवनगर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
3. श्यामलाल आत्मज डालू गाडरी निवासी रामदेवनगर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

—विपक्षीगण

उपस्थिति— अधिवक्ता प्रार्थीया:—श्री मदनलाल जीनगर

अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2 व 3:— श्री भोलाराम माली

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांक:—11.10.2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर ग्राम रामदेवनगर, पटवार हल्का भूणास तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की खाता संख्या 72 में स्थित आराजी संख्या 256 रकबा 0.27 हे0, 257 रकबा 0.22 हे0, 258 रकबा 0.40 हे0, कुल कित्ता 3 कुल रकबा 0.89 हे0 भूमि अन्य आराजियात के साथ स्थित है। भूमियां प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की है। जिनकी जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 संलग्न हैं। प्रार्थी के उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर पेश किया गया। विपक्षी संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित अतः इनके विरुद्ध एक पक्षीय पत्र जारी अमल में लाई जाती है। विपक्षी संख्या 2 व 3 के अधिवक्ता उपस्थित जवाब पेश कर वर्णित आराजियात पर पत्थरगढी किये जाने पर विरोध प्रदर्शित किया। प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित सुना गया। प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया एवं विपक्षी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करने पर विरोध जाहीर किया।

बाद सुनवाई मैंने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जा उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम रामदेवनगर, पटवार हल्का भूणास तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की खाता संख्या 72 में स्थित आराजी संख्या 256 रकबा 0.27 हे0, 257 रकबा 0.22 हे0, 258 रकबा 0.40 हे0, कुल कित्ता 3 कुल रकबा 0.89 हे0 भूमि अन्य आराजियात के साथ स्थित है। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढी की जाने के आदेश किये जाते हैं, उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में खान्दाजी किये पत्थरगढी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता है तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें। प्रार्थी बतौर अधिवक्ता शुल्क राशि 450/- (चार सौ पचास रु. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की शुल्क राशि 450/- (चार सौ पचास रु. मात्र) सम्बन्धित भु-अभिलेख निरीक्षक को मौके पर जमा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापूर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश सुवालका)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापूर(भीलवाड़ा)

